न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–21/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. खुर्शीद पुत्र नत्थू खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
2. रेशमी बेवा नत्थू खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
3. कासम पुत्र नत्थू खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

..... प्रति0/अपीलांटान

बनाम

1. चावला पुत्र नत्थू खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर

..... असल वादी/रेस्पो0

2. चांवसिंह पुत्र कपूर खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
3. सुभान खां पुत्र कपूर खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
4. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
5. ग्राम पंचायत टिटपुरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी पंचायत समिति कठूमर ।

..... प्रति0/रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–

1. श्री मनीष कोशिक / श्री रामवीरसिंह अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–27.04.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक व हुक्मईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 हाल 42 मिन रकबा 0.19 है, 43/1 मिन रकबा 0.02, 64 मिन रकबा 0.05, 158 रकबा 0.05, 401 रकबा 0.75, 418/1 रकबा 0.39 व 42/2 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर में स्थित है । उक्त विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 को श्री नत्थू खां से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादी का 7/16 व प्रतिवादी सं0 1 का 7/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 का 2/16 हिस्सा है । श्री नत्थू खां का निकाह श्रीमती मुनीरी के साथ हुआ था । नत्थू खां व मुनीरी के नुत्फे से वादी सं0 1 व जैतूनी का जन्म हुआ । जैतूनी की शादी

हो गयी थी जो फ़ौत हो चुकी है । नत्थू खां ने वादी सं0 1 की मां को मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा नत्थू खां वादी के पिता ने प्रतिवादनी सं0 2 रेशमी के साथ घरवासा कर लिया । जब नत्थू खां ने रेशमी से घरवासा किया था तब प्रतिवादी सं0 3 कासम रेशमी के साथ आया था जो रेशमी के पहले पति की संतान है जिसका नत्थू खां की आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । नत्थू ने हम वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 वारिस काबिज जायदाद हैं तथा वादी नत्थू खां के हिस्से की आराजी के 7/16 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण आपस में मिले हुए हैं जो नत्थू खां का विरासत इन्तकाल प्रतिवादी नं0 3 कासम के नाम भी दर्ज व तस्दीक कराना चाहते हैं जबकि प्रतिवादी सं0 3 का नत्थू खां से कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है और ना था । प्रतिवादी सं0 3 गैलड है । प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 प्रतिवादी सं0 4, 5 से बेजा होकर नत्थू खां की विरासत का इन्तकाल प्रतिवादी सं0 3 के नाम दर्ज व तस्दीक कराने की कोशिश में है । प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी है कि हम तुझे विवादित आराजी के तेरे 7/16 हिस्से पर काश्त नहीं करने देगें तथा जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करेंगे । मृतक नत्थू खां का विरासत इन्तकाल प्रतिवादी सं0 4, 5 से मिलकर प्रतिवादी सं0 3 के नाम भी दर्ज व तस्दीक करवाएगें । अतः वादी ने विवादित आराजी में अपने 7/16 हिस्से की आराजी की घोषणा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें से प्रतिवादी सं0 5 ल0 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये तथा प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 ने उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश किया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद दि0 03.02.2016 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 03.02.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित बहस व जबानी बहस में कथन किया कि वादी ने तनकी नं0 1 को साबित नहीं किया लेकिन तहत न्यायालय ने गलत तरीके पर तनकी नं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया है । वादी ने विवादित आराजी में 7/16 हिस्सा अपना होना दर्ज किया है जबकि वादी ने अपने दावे में यह सिद्ध नहीं किया कि 7/16 हिस्सा किस प्रकार बनता है । जब तहत न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 का विवादित आराजी में 7/32 हिस्सा माना है व वादनी ने अपना 7/16 हिस्सा विवादित आराजी में बताया है तो वादी ने तनकी नं0 2 को साबित नहीं किया ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि तहत न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 का विवादित आराजी में 7/32 हिस्सा माना है व वादी ने अपना 7/16 हिस्सा विवादित बताया है तो वादी ने तनकी नं0 3 को कभी सही सिद्ध नहीं किया है । मुताबिक कानून व नियम मृतक नत्थू के सभी वारिसान को मुकदमा हाजा में पक्षकार बनाया जाना अति आवश्यक था लेकिन वादी ने मुकदमा में नत्थू के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है । वादी ने तहत न्यायालय में हलफनामें ही पेश किये है लेकिन बयान देने के लिए तहत न्यायालय ने कई

मौके दिये लेकिन वादी बयान देने नहीं आया तथा तहत न्यायालय ने वादी / रेस्पो0 की जिरह बन्द कर दी है । वादी ने तहत न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किये हैं वो तहत न्यायालय से प्रदर्शित नहीं करवाये जिसमें वादी स्वयं के दस्तावेज प्रदर्शित कराने में असफल रहा है तथा उक्त दस्तावेज पढ़े जाने योग्य नहीं है तथा वादी इसी आधार पर स्वयं का दावा साबित करने में असफल रहा है तथा तहत न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर गौर नहीं किया व उन दस्तावेजात पर वादी का वाद डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है ।

प्रतिवादी/अपीलांट ने जो दस्तावेज प्रदर्श राशनकार्ड, निर्वाचन नामावली 1993, 1998, 2004 प्रस्तुत किये हैं उनके साफ है कि प्रतिवादी/अपीलांट कासम, नत्थू खां का व मु0 रेशमी का पुत्र है तथा अपीलांट कासम खां, नत्थू के नुत्फे से व मु0 रेशमी के गर्भ से पैदा हुआ है । वादी/रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में दावा ग्राम पंचायत टिटपुरी जरिये सरपंच के खिलाफ दायर किया है । मुताबिक नियम व कानून ग्राम पंचायत को 2 माह का नोटिस देने के बाद दावा दायर किया है । वादी ने अपने वाद में कहीं नहीं लिखा कि मौजूदा दावा अर्जेन्ट नेचर का है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

विद्धान अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को श्री नत्थू खां से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादी का 7/16 व प्रतिवादी सं0 1 का 7/16 व प्रतिवादी सं0 2 का 2/16 हिस्सा है । नत्थू खां का निकाह श्रीमती मुनीरी के साथ हुआ था तथा नत्थू व मुनीरी के नुत्फे से वादी सं0 1 व जैतूनी का जन्म हुआ । जैतूनी शादी के बाद फौत हो गई । नत्थू खां ने वादी सं0 1 की मां को मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा नत्थू खां के पिता ने प्रतिवादनी सं0 2 रेशमी के साथ घरवासा किया तब प्रतिवादी सं0 3 कासम रेशमी के साथ आया था जो रेशमी के पहले पति की संतान है जिसका नत्थू खां की आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तनकीयात कायम करते हुए उचित निर्णय पारित किया है । इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है । रेस्पो0 अभिभाषक ने यह भी कहा कि यदि कासम अपीलांट नत्थू का पुत्र है तो उन्हें नत्थू की पत्नि और अपनी मॉ रेशमी के बयान करवाने चाहिए । अतः कासम की अपील स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलांट सं0 1 व 2 के अभिभाषक ने गुणावगुण पर अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया ।

जवाबुल जवाब में अपीलांट कासम के अभिभाषक का कहना है कि रेशमी रेस्पो0 के कब्जे में है । अतः बयान नहीं कराये, परन्तु तहत न्यायालय में मय शपथपत्र जो जवाब अपीलांटगण की ओर से पेश है जिसमें रेशमी भी शामिल है । अपने आपमें श्रेष्ठ बयान है । अतः वादी/रेस्पो0 का कथन झूंठा है । निर्णय गलत है जिसे निरस्त किया जाना चाहिए ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रतिवादी/अपीलांट ने अपने जवाब दावे में कथन किया कि रेशमी का निकाह नत्थू खां के साथ हुआ था तथा निकाह के बाद ही ग्राम टिटपुरी में रेशमी व नत्थू खां के नुत्फे से कासम, खुर्शीद व बस्सन, मैमूना, अपसरी पुत्रियों का जन्म हुआ है । जन्म से कासम ग्राम टिटपुरी में रह रहा है । प्रतिवादी सं0 3 कासम गैलड नहीं है बल्कि नत्थू खां एवं रेशमी के नुत्फे से पैदा होने के कारण नत्थू खां का जायन्दा पुत्र है । प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 मृतक नत्थू खां के जीवनकाल से ही विवादित आराजी में अपने हिस्से पर कार्य काश्तकारी करते

चले आ रहे हैं और आज भी काबिज हैं । कासम नत्थू खां व रेशमी के नुत्फे से ग्राम टिटपुरी में पैदा हुआ है जिसका नाम मृतक नत्थू खां के राशनकार्ड सन् 1986 में दर्ज है व कासम स्वयं का राशनकार्ड सं0 686 बना हुआ है तथा कासम यू.पी.का निवासी नहीं है । साथ ही निर्वाचक नामावली 1988, 1998, 2004 की विधानसभा क्षेत्र कठूमर में भी कासम पुत्र नत्थू खां दर्ज है । ग्राम टिटपुरी में कासम का पहचान पत्र बना हुआ है । इस प्रकार मृतक नत्थू की आराजी में सभी वारिसान का 1/7 हिस्सा बनता है तथा वादी का भी 1/7 हिस्सा बनता है ।

वादी द्वारा तहत न्यायालय में प्रस्तुत वाद में भी विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 जो कि नत्थू खां से विरासत में प्राप्त होना स्वीकार किया है जिसमें वादी का 1/16 व प्रतिवादी सं0 1 को 7/16 तथा प्रतिवादी सं0 2 का 2/16 हिस्सा माना है ।

प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 की ओर से तहत न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे के जिमन सं0 2 में प्रस्तुत सजरे के साथ प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं0 2 रेशमी का निकाह नत्थू खां से हुआ था निकाह के बाद ही ग्राम टिटपुरी में रेशमी व नत्थू खां के नुत्फे से कासम पुत्र, बससन, मैमूना, अपसरी पुत्री एवं खुर्शीद पुत्र का जन्म हुआ जो सभी ग्राम टिटपुरी के वासी है तथा ग्राम टिटपुरी में ही इनका जन्म हुआ और जन्म से ही प्रतिवादी सं0 3 कासम टिटपुरी में ही रह रहा है । साथ ही उन्होंने यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादी सं0 3 गैलड बताया गया है जो कि गलत बताया है । प्रतिवादी सं0 3 को सभी ने जायज मृतक नत्थू का पुत्र बताया है ।

अधीनस्थ न्यायालय में गवाह दयाल सिंह पुत्र पठानसिंह सिक्ख ने अपने हल्फिया बयान से जाहिर किया कि खुर्शीद गैलड नहीं है तथा नत्थू व रेशमी के नुत्फे से पैदा हुआ है तथा प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 नत्थू के जीवनकाल से ही विवादित आराजी में कार्य काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर काबिज कृषक खातेदार है । साथ ही गवाह भवानीसिंह ने भी इसी कदर बयान किये हैं । प्रतिवादी/अपीलांट रेशमी की ओर से पेश जवाब मय शपथपत्र अपने आपमें श्रेष्ठ स्वीकारोक्ति है कि कासम उसका व नत्थू का ही पुत्र हो सकता है कि रेशमी रेस्पो0/वादी के कब्जे में हो जिससे वह बयान नहीं कर सकी, परन्तु रेशमी की ओर से मेरा जवाब अभी स्वयं स्वीकारोक्ति है कि कासम उसका व नत्थू का पुत्र ही है ।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी में प्रतिवादी /अपीलांट का बराबर का हिस्सा है तथा वह गैलड नहीं होकर जायन्दा पुत्र है जिसकी ताईद में उन्होंने निर्वाचक नामावली, राशनकार्ड, वोटर कार्ड आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है तथा वह ग्राम टिटपुरी में ही उनके पिता के जीवनकाल से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । साथ ही जब प्रतिवादी सं0 1 व 2 स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि विवादित आराजी में हमारा बराबर हिस्सा है तो तहत न्यायालय ने उक्त तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देकर वादी के वाद को डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है तथा तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2016 निरस्त की जाती है तथा विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 42 मिन रकबा 0.19 है, 43/1 मिन रकबा 0.02, 64 मिन रकबा 0.05, 158 रकबा 0.05, 401 रकबा 0.75, 418/1 रकबा 0.39 व 42/2 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम

टिटपुरी तहसील कठूमर में नत्थू खां के सभी विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 व अन्य प्रत्येक को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/4/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर